(10)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

मेयर इन कॉउन्सिल की बैठक दिनांक 16.07.2015

प्रस्ताव क्रमांक 01 :-- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का क्रियान्वयन करने के संबंध में। भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को देश के 500 शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, के लिए अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन में शहरों के अधोसंरचना विकास तथा नागरिकों को उन्नत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से जलप्रदाय/आवर्धन योजना, भूमिगत सीवरेज को प्रथमवरीयता में तथा ड्रेनेज, सेप्टेज को द्वितीय वरीयता में तथा हरित बाल उद्यान निर्माण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार का अशंदान 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 33 प्रतिशत तथा, इससे कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु 50 प्रतिशत तथा राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा राज्य एवं निकाय के अनुदान के संबंध में निर्णय पृथक से लिया जाकर निकाय को संसूचित किया जावेगा। योजना के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को भी सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। योजना के कियान्वयन के साथ निकाय की कार्यप्रणाली को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 11 सुधार कार्यक्रम भी सम्मिलित किये गए है। भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देश संलग्न है। उक्त मिशन की दिशानिर्देशों को निकाय में लागू करने हेतु प्रकरण **मेयर इन कॉउन्सिल** के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू किये गए मिशन अमृत के मार्गनिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव क्रमांक 02 :-- भारत सरकार द्वारा लागू मिशन स्मार्ट सिटी के संबंध मे। भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए शहरी जनसंख्या के आधार पर 02 स्मार्ट सिटी का कोटा निर्धारित किया गया है। स्मार्ट सिटी हेतु शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में विस्तृत जानकारी दी गई है, दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है। प्रतिस्पर्धा उपरांत राज्य स्तर पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्देशों के अनुरूप परीक्षण उपरांत भारत सरकार को अनुशंसा की जावेगी। भारत सरकार द्वारा सम्यक प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कर, विजेता शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया जावेगा, जिसमें प्रथम वर्ष में राशि रू.200.00 करोड़ एवं प्रति वर्ष राशि रू.100.00 करोड़ निंरतर 03 वर्षों तक प्राप्त होगी। अन्य योजनाओं मिशन अमृत, सबके लिए आवास, 14वां वित्त आयोग आदि से प्राप्त राशि का भी उपयोग नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु किया जावेगा। योजना में अधोंसंरचना विकास, आवास निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का सृजन तथा पारदर्शिता रखने के लिए आईटी का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावेगा। निर्माण कार्य के साथ निकाय की कार्य प्रणाली को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सुधार कार्यो (रिफार्म) के कियान्वयन किये जाने एवं जनभागीदारी को भी सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। भारत शासन के दिशानिर्देशो अनुसार स्मार्ट सिटी की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने तथा प्रतिस्पर्धा में चयनित होने पर स्मार्ट सिटी की योजना का भारत सरकार/राज्य शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सुधार (रिफार्म) तथा आनुशांगिक समस्त कार्यों के क्रियान्वयन के संबध में प्रकरण अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू किये गए मिशन अमृत के मार्गनिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

महापौर

परिषद् लिपिक